न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 576 सन 2018
अनवान :–

1. रामस्वरूप उर्फ सरूपचन्द्र जाति कुम्हार निवासी चक्का तहसील सिरसा जिला सिरसा हाल थिराना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नोहर तहसील नोहर।

असल प्रतिवादी

2. उदेराम पुत्र पुराराम जाति कुम्हार निवासी चक्का तहसील सिरसा हाल निवासी थिराना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
3. महावीर पुत्र पुराराम जाति कुम्हार निवासी चक्का तहसील सिरसा हाल निवासी थिराना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
4. छोटूलाल पुत्र जवाहरलाल जाति कोठारी निवासी थिराना तहसील नोहर।

तरतीबी प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 07/03/2024

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा थिराना के खाता संख्या 18 के खसरा न0 220 की 31.016 बीधा भूमि जिसके गोपालदास वल्द अर्जनदास जाति स्वामी निवासी निमला तहसील नोहर खातेदार काश्तकार थे उक्त भूमि को जरिये बेयनामा दिनांक 30.07.1970 को जरिये बैयनामा वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 1 उदेराम व प्रतिवादी संख्या 2 व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 3 महावीर व गुलाबराम ने खरीद की थी ।

रोही मौजा थिराना के साबिका खसरा न0 220 मिन के पैमाईश हाल में भू0 प्रबन्ध विभाग द्वारा खसरा न0 67/672 ,673 व 674 ,697/672 में तब्दील कर पैमुद किये गये थे ।

रोही मौजा थिराना के साबिका खसरा न0 220 की 31.16 बीधा भूमि पूर्व में गोपलदास के कब्जा काश्त में थी तथा बैयानामा उपरान्त वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण के कब्जा काश्त में चली आ रही है।

प्रतिवादी संख्या 4 ने गुलाबराम पुत्र पुराराम के हक हिस्सा की भूमि को जरिये बेयनामा खरीद कर लिया था इसलिये प्रतिवादी संख्या 4 को पक्षकार बनाया गया है।

वाद भूमि भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा गत पैमाईश में उक्त खसरा न0 673 की 7.361हैक में तब्दील कर वादीव तरतीबी प्रतिवादीगण के नाम दर्ज हो गई थी तथा उक्त भूमि में से नहर निकलने के कारण नहर में 1.0880हैक भूमि अवाप्त होने पर भूमि कम की जाकर 6.2730हैक भूमि वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण के नाम दर्ज कर दी जो गलत है क्योकि वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण की 2.04 बीधा भूमि कम दर्ज कर दी ।

वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण की कुल 31.16 बीधा भूमि थी जिसमें से 1.0880हैक भूमि नहर में अवाप्त होने पर शेष 6.8296हैक भूमि वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण के नाम दर्ज की जानी थी किन्तु 6.2730हैक भूमि [illegible] 2.04 बीधा भूमि कम दर्ज कर दी जिसे वादी तरतीबी प्रतिवादीगण [illegible] करवाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी [illegible] कहा की वादी [illegible] हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज क[illegible] देवे तो कुछ दिनों [illegible] आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:28:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जाकर रोही मौजा थिराना के खाता संख्याा 64/50 के खसरा न0 673 की 6.8296हैक्ट भूमि के वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण 2 ता 4 बहिब के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश फरमावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 2, 4 को रजिस्टर सम्मनसे तलब करने के उपरान्त भी न्यायालय में उपस्थित नही आने पर एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गई प्रतिवादी संख्या 2 स्वय उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया तथा प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से पेरोकार राज उपस्थित आकर निवेदन किया की वाद भूमि सही तौर से दर्ज है तथा वादी अपने वाद को साक्ष्य सबुतो के आधार पर साबित करे तथा राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए वादी के वाद का निस्तारण फरमावे।

प्रकरण में प्रतिवादी का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा थिराना के खाता संख्या 18 के खसरा न0 220 की 31.016 बीधा भूमि जिसके गोपालदास वल्द अर्जनदास जाति स्वामी निवासी निमला तहसील नोहर खातेदार काश्तकार थे उक्त भूमि को जरिये बेयनामा दिनांक 30.07.1970 को जरिये बैयनामा वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 1 उदेराम व प्रतिवादी संख्या 2 व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 3 महावीर व गुलाबराम ने खरीद की थी ।

रोही मौजा थिराना के साबिका खसरा न0 220 मिन के पैमाईश हाल में भू0 प्रबन्ध विभाग द्वारा खसरा न0 67/672 ,673 व 674 ,697/672 में तब्दील कर पैमुद किये गये थे ।

रोही मौजा थिराना के साबिका खसरा न0 220 की 31.16 बीधा भूमि पूर्व में गोपलदास के कब्जा काश्त में थी तथा बैयानामा उपरान्त वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण के कब्जा काश्त में चली आ रही है।

प्रतिवादी संख्या 4 ने गुलाबराम पुत्र पुराराम के हक हिस्सा की भूमि को जरिये बेयनामा खरीद कर लिया था इसलिये प्रतिवादी संख्या 4 को पक्षकार बनाया गया है।

वाद भूमि भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा गत पैमाईश में उक्त खसरा न0 673 की 7.361हैक्ट में तब्दील कर वादीव तरतीबी प्रतिवादीगण के नाम दर्ज हो गई थी तथा उक्त भूमि में से नहर निकलने के कारण नहर में 1.0880हैक्ट भूमि अवाप्त होने पर भूमि कम की जाकर 6.2730हैक्ट भूमि वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण के नाम दर्ज कर दी जो गलत है क्योकि वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण की 2.04 बीधा भूमि कम दर्ज कर दी ।

वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण की कुल 31.16 बीधा भूमि थी जिसमें से 1.0880हैक्ट भूमि नहर में अवाप्त होने पर शेष 6.8296हैक्ट भूमि वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण के नाम दर्ज की जानी थी किन्तु 6.2730हैक्ट भूमि दर्ज कर 2.04 बीधा भूमि कम दर्ज कर दी जिसे वादी तरतीबी प्रतिवादीगण अपनी भूमि जो कम की गई को दर्ज करवाने के अधिकारी है वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने अपनी बहस में निवेदन किया की वर्तमान राजस्व रिकार्ड में भूमि सही तौर से दर्ज हे तथा वादी अपने वाद को साक्ष्य सबुतों के आधार पर स्वय साबित करे राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।?

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा थिराना के साबिका [illegible] 220 की 31.16 बीधा भूमि गोपालदास वल्द अर्जनदास के नाम बतौर [illegible] दर्ज थी जो प्रस्तुत सम्वत 2024 से पूर्णत्या सबित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:28:57 IST
Reason: SelfAttested

गोपालदास पुत्र अर्जनदास जाति स्वामी ने उक्त रोही मौजा थिरान के साबिका खसरा न0 220 की 31.16 बीधा भूमि वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 को जरिये

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

बैयनामा दिनांक 30.07.1970 को बेचान की गइ थी जो प्रस्तुत जमाबन्दी भू0 प्रबन्ध विभाग सम्वत 2029 से 2038 में अंकित नोट एवं स्वीकृत नोट से साबित है ।

रोही मौजा थिराना के साबिका खसरा न0 220 की 31.16 बीधा भूमि को भू0 प्रबन्ध विभाग ने पैमाईश में हाल खसरा न0 673 में पैमुद कर खसरा न0 673 की 31.16 बीधा में पैमुद किया गया था।

वादी एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 ने जरिये बेयनामा दिनांक 30.07.1970 को 31.16 बीधा भूमि खरीद की गई थी अर्थात 7.9176हैक भूमि गोपालदास से खरीद की गई थी जो प्रस्तुत दस्तावेजात से प्रमाणित है।

वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 की भूमि में से नहर निकलने के कारण नहर में अवाप्त की गई नहर के लिये 1.0880हैक भूमि अधिग्रहण की गई थी जो विभाग के नाम वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है विभाग द्वारा अवाप्त की गई भूमि या विभाग के नाम दर्ज भूमि के सम्बध में वादी का काई ऐतराज नही है।

वादी व तरतीबी प्रतिवादी के नाम कुल 31.16 बीधा अर्थात 7.9176हैक भूमि बतौर खातेदार दर्ज थी जिसमें से 1.0880हैक भूमि नहर में अवाप्त होने के कारण वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण की भूमि में से कम करने पर 7.9176–1.0880 शेष 6.8296 हैक भूमि रहती है जबकि वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण के नाम 6.2730हैक भूमि दर्ज की गई है जो गलत है नहर में भूमि अवाप्त होने पर वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण की भूमि में से नहर की भूमि निकालने पर शेष 6.8296हैक के स्थान पर 6.2730हैक भूमि दर्ज की गई अर्थात 0.5566हैक भूमि कम दर्ज की गई जिसे वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण अपने नाम से दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

इसप्रकार वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण ने जरिये बेयनामा खरीद की गई कुल 31.06 बीधा भूमि अर्थात 7.9176हैक भूमि खरीद की गई थी जिसमे से नहर में 1.0880हैक अवाप्त की गई थी जो विभाग के नाम दर्ज है शेष भूमि 6.8296हैक भूमि वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण के नाम दर्ज की जानी थी किन्तु 6.2730हैक दर्ज की गई है अर्थात 0.5566हैक भूमि कम दर्ज की गई है जिसे वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण दर्ज करवा पाने के अधिकारी है ।

अतः वादी का वाद साक्ष्य सबुतों के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा थिराना के खाता संख्या 64/50 के खसरा न0 673 की 6.8296हैक भूमि के वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 बहिब के खातेदार काश्तकार है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर जमाबन्दी संशोधन की जावे इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 500/–रू स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील ज़ाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 07/03/2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:28:57 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. रामस्वरूप उर्फ सरूपचन्द्र जाति कुम्हार निवासी चक्का तहसील सिरसा जिला सिरसा हाल थिराना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नोहर तहसील नोहर।

असल प्रतिवादी

2. उदेराम पुत्र पुराराम जाति कुम्हार निवासी चक्का तहसील सिरसा हाल निवासी थिराना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
3. महावीर पुत्र पुराराम जाति कुम्हार निवासी चक्का तहसील सिरसा हाल निवासी थिराना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
4. छोटूलाल पुत्र जवाहरलाल जाति कोठारी निवासी थिराना तहसील नोहर।

तरतीबी प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 576 सन 2018 निर्णय दिनांक– 07/03/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढवाल उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वादी का वाद साक्ष्य सबुतों के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा थिराना के खाता संख्या 64/50 के खसरा न0 673 की 6.8296हैक भूमि के वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 बहिब के खातेदार काश्तकार है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर जमाबन्दी संशोधन की जावे इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 500/–रू स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 07/03/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:28:57 IST
Reason: SelfAttested